राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 49 | जुलाई - सितम्बर 2014 | सीमित प्रसार के लिए

राज्य बजट 2014–15 : कमजोर वर्गों तथा सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा

सम्पादकीय

केन्द्रीय बजट की तरह राजस्थान बजट में भाजपा सरकार का सारा ज़ोर निजी क्षेत्र की भागीदारी से सड़कों, बिजली, शहरी सुविधाओं आदि को बढ़ावा देकर तथा उनकी स्थिति को सुधार कर एवं व्यापारियों के लिये कर प्रणाली को सरल बना कर तथा श्रम कानूनों में संशोधन कर उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने का है। सरकार ने इस प्रकार 12 प्रतिशत आर्थिक विकास दर तथा प्रति व्यक्ति आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर का सृजन जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं।

राज्य सरकार ने इन घोषणाओं के अंतर्गत 20 हजार किमी. राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों को 70 हजार करोड़ रूपये की लागत से विकसित करने की योजना तय की है। जिसमें राज्य सरकार केवल 20 हजार करोड़ रूपये लगाएगी तथा जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये एक राजस्थान राज्य राजपथ प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, बस अड्डों का विकास करने के लिये राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कॉर्पोरेशन का गठन तथा राज्य सड़क परिवहन निगम को दी जाने वाली सहायता को सुधारों से जोड़ने (रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस) की योजना भी बनाई गई है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी से विशेषकर सड़क निर्माण में, राज्य की जनता पर टोल करों का बोझ बढ़ने का खतरा है। वसुंधरा सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों को नॉनशिड्युल वायु सेवा से जोड़ने की महत्त्वाकांक्षी योजना भी बनाई है। इसके अलावा राज्य के 5 शहरों को केन्द्र सरकार के स्मार्ट सिटी के तहत लाने का प्रयास किये जाने की बात भी कही गई है।

जहां तक सामाजिक क्षेत्र का प्रश्न है पेयजल को सुधारने के लिये पंचायतों के पेयजल स्रोतों को इस बार PHED द्वारा दूरूस्त किया जायेगा तथा पूर्व के लम्बित 12 पेयजल योजनाओं के लिये रू. 289 करोड़ रखे गये हैं। परन्तु ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति में केवल रू. 112 करोड़ की ही वृद्धि की गई है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण (अल्पसंख्यक सहित) पर मात्र 9.5 प्रतिशत एवं सामाजिक कल्याण तथा पोषण हेतू पिछले वर्ष की अपेक्षा मात्र 8.44 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

इस वर्ष के परिवर्तित बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के हिस्से में विगत वर्षों की तुलना में कमी की गई है। इस वर्ष अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 8.43 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना हेतु करीब 7.27 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्षों से काफी कम है।

हालांकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाया गया है परन्तु यह मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि का राज्य बजट में शामिल किये जाने से हुआ है। ग्रामीण विकास में भी अब मनरेगा तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का सारा पैसा राज्य सरकार के खाते में आने से बजट काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार पिछले 2 वर्षो से कृषि क्षेत्र में विकास की दर नकारात्मक या स्थिर रही है इसके बावजूद कृषि पर कुल आवंटन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 प्रतिशत तथा सिंचाई पर मात्र 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट में खाद्य सुरक्षा कानून के लागू किये जाने पर केवल इतना कहा है कि पिछली सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की सूची में सुधार किया जायेगा। बजट में खाद्य आपूर्ति के कुल आवंटन में भी कमी की गयी है तथा बजट के तुरंत बाद सरकार ने बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवारों को देय अनाजों की कीमतों में वृद्वि कर डाली। इस प्रकार यह बजट कमजोर वर्गो के कल्याण, सामाजिक विकास, पेयजल तथा प्राकृतिक आपदाओं से राहत, कृषि, सिंचाई आदि की उपेक्षा करता है।

राजस्थान सरकार का श्रम विरोधी कदम

विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान सरकार ने चार श्रम कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पेश तथा पारित किये हैं। यह चारों संशोधन विधेयक श्रम विरोधी प्रतीत होते हैं जिनसे केवल उद्योगपतियों के फायदे एवं श्रमिकों के शोषण में बढ़ोतरी ही होगी। संशोधन विधेयकों के मुताबिक अब कर्मचारी युनियनों को मान्यता प्राप्त करने हेतु नियोजित श्रमिकों में से 30 प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक करने का प्रस्ताव है जो कि पहले 15 प्रतिशत था। इससे कर्मचारी यूनियनों के लिए मान्यता प्राप्त करना और मुश्किल हो जायेगा तथा उद्योगपति अपनी पंसदीदा यूनियनों को बढ़ावा दे सकेंगे। संविधान का अनुच्छेद 19 और ट्रेड यूनियन अधिनियम कर्मचारियों को यूनियन के रूप में संगठित होने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं परन्तु औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक–2014 में इस मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगायी जा रही है।

इसके अलावा अब छंटनी एवं कारखाना बंदी के लिये उन कारखानों हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक होगी जिनमें 300 या अधिक श्रमिक काम करते हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 में यह संख्या 100 रखी गयी थी। इस संशोधन की वजह से अब कारखाना मालिक अधिक संख्या में छंटनी कर सकेंगे जिसके कारण श्रमिकों को श्रम कानून के अंर्तगत जो सुरक्षा प्राप्त होती थी वह समाप्त हो जायेगी। इससे कारखाना मालिक अपने दस्तावजों में भी नियमित श्रमिकों की संख्या 299 तक बतायेंगे एवं बाकी कर्मचारियों को ठेकेदार के रूप में बतायेंगे।

विधेयकों में प्रस्तावित संशोधनों के चलते श्रम कल्याण में सरकार का दखल अब कम हो जायेगा तथा श्रम कानूनों में मिलने वाली सुविधाओं जैसे– सफाई, पीने का पानी, शौचालय, साप्ताहिक छुटिट्यां, मातृत्व अवकाश आदि से कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों को वंचित रहना पड़ेगा। क्योंकि कारखाना अधिनियम में कारखाने की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके मुताबिक जिन कारखानों में बिजली का उपयोग किया जाता है उनमें से वे ही कारखाने, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आयेंगे जिनमें 20 श्रमिक काम करते हों, यह संख्या पहले 10 थी। उसी प्रकार बिजली का उपयोग ना करने वाले कारखानों में अगर श्रमिकों की संख्या 40 होगी तभी कारखाना अधिनियम के प्रावधान इन कारखानों पर लागू होंगे, यह संख्या पहले 20 थी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में विवाद प्रस्तुत करने की सीमा तीन वर्ष रखी गयी है जबकि इससे पूर्व कोई सीमा नहीं रखी गयी थी। ऐसे में श्रमिकों के लिये न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा। हांलाकि विवाद से निपटारे के लिये समय सीमा पर कोई बात इन विधेयकों में नहीं कही गयी है। शिक्षु अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए स्टेट एप्रेंटिसशिप काउंसिल को अधिकार दिये गए हैं ताकि वह यह तय कर सके कि किस उद्योग में कितने एप्रेंटिस लगें। इसके साथ ही पाठ्यक्रम की अवधि तय करने और किसी विवाद को सुलझाने का अधिकार भी काउंसिल के पास होगा।

अब ये सभी संशोधन विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्ति के लिए भेजे जायेंगे तथा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकता है। यह दुःख की बात है कि चुनावी घोषणा– पत्र में जिस भाजपा सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिये बड़ी बड़ी बातें कही अब वही सरकार अपना रूख पलट कर इन संशोधनों के जरिये श्रमिकों को कमजोर करना चाह रही है। हम आशा करते हैं कि सरकार इन संशोधनों को लागू करने के बजाय राज्य में श्रमिक कानूनों को और कल्याणकारी बनाने पर विचार करेगी।

सरकार घटा रही है खाद्य सुरक्षा एवं मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा

मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में देश में 'युनिवर्सल स्वास्थ्य सेवा' को बढ़ावा देने तथा इसे रणनीतिक रूप से लागू करने की बात कही है लेकिन राज्य में भाजपा सरकार ने अपने बजट भाषण में इससे ठीक विपरीत घोषणा की है। राज्य की मुख्यमंत्री महोदया ने पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई निशुल्क दवा एवं जांच योजना को खर्चीली बताकर इसके स्वरूप में बदलाव की बात कही है।

राज्य बजट के दौरान मुख्यमंत्री महोदया ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी परिवारों को निशुल्क बीमा योजना से जोड़ा जायेगा तथा इन्हें ओपीडी में निशुल्क दवा एवं जांच योजना का लाभ मिलता रहेगा। अर्थात अब राज्य में संचालित निशुल्क दवा एवं जांच योजना केवल उन 67 फीसदी लोगों तक सीमित रह जायेगी जो कि खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में आते हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 2.26 करोड़ लोग इन योजनाओं के दायरे से सीधे सीधे बाहर हो जायेंगे। जन स्वास्थ्य अभियान, राजस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब निशुल्क दवा एवं जांच योजनाओं के दायरे से राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की लगभग 25 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शुरूआती दौर में बाहर हो जायेगी।

इसके साथ ही निशुल्क दवा एवं जांच योजनाओं को अब मात्र ओ.पी.ड़ी. (बाह्य रोगी विभाग) तक ही सीमित रखने की बात भी कही गई है और यदि कोई गम्भीर रोग जिसके लिये अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हो, उसके लिये राज्य सरकार ने निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की है। इस निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का 30 हजार से 3 लाख रूपए तक का बीमा, बीमा कंपनियों से करवाया जायेगा। जिसके लिये राज्य सरकार पहले उन बीमा कंपनियों को बीमा राशि का भुगतान करेगी उसके बाद बीमा कंपनियां इलाज के लिये खर्च होने वाली राशि का पुर्नभुगतान करेंगी। लेकिन इस तरह बीमा कंपनी को अग्रिम भुगतान करना फिर चाहे पात्र रोगी उपचार लें अथवा नहीं कहां तक सही है।

इसके साथ ही एक और चिंताजनक बात यह है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थीयों की संख्या को कम करने तथा सहरिया जनजाति को मिलने वाले 35 किलो मुफ्त अनाज को 2 रु. प्रतिकिलो करने जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., आस्था कार्डधारी, अन्त्योदय एवं कुछ ए.पी.एल. (लगभग 50 प्रतिशत) परिवारों को लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना से राज्य के कुल 5.31 करोड़ व्यक्ति जुडे हुए हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार यह संख्या केन्द्र के तय आंकडों से 85 लाख युनिट (एक यूनिट एक व्यक्ति) ज्यादा है जिसे नये सर्वे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे से बाहर कर दिये जाने की योजना है यदि ऐसा होता है तो राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ (2011) में से लगभग 2.40 करोड़ लोगों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के साथ साथ मुफ्त दवा एवं जांच योजना के दायरे से बाहर होने की संभावना है।

राजस्थान में शिक्षा पर बजट आवंटन एवं व्यय

देश में 'निम्न' मानव सूचकांक वाले राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में शिक्षा का स्तर देश के अन्य राज्यों की तुलना में 'निम्न' है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। यदि लिंगानुसार साक्षरता दर देखी जाए तो 2011 में पुरुषों में 80.51 एवं महिलाओं में 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता में राजस्थान 34 वें स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट भी अधिक है, साथ ही बड़ी संख्या में बच्चे विद्यालय से वंचित हैं। देश में शिक्षा का अधिकार कानून "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" 1 अप्रेल, 2010 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में विद्यालयों एवं अध्यापकों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिये अनेक मापदंड बनाये गये हैं। राजस्थान ने भी इस कानून के क्रियांवयन हेतु "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011" नाम से 2011 में नियम बनाये हैं। लेकिन फिर भी राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून के मापदंडों के अनुरुप सुविधाओं का भारी अभाव है। विद्यालयों में सुविधाओं की कमी के पीछे मुख्य कारणों में शिक्षा पर कम बजट आवंटन एवं व्यय होना भी प्रमुख है। अतः प्रस्तुत आलेख में राज्य में शिक्षा क्षेत्र पर बजट एवं व्यय के साथ सरकार द्वारा हाल ही में पेश किये गये वर्ष 2014–15 के बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय :

राज्य में अभी हाल ही में पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 हेतु करीब 22873 करोड़ रु. आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 36 प्रतिशत अधिक है। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह केन्द्र सरकार से सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान से आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है। सर्व विदित है कि पहले दोनों सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान की राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को

शेष पृष्ठ 2 पर ...

राज्य बजट में ग्रामीण विकास एवं मुख्य योजनाओं की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा गत माह 14 जुलाई को वर्ष 2014–15 के लिये परिवर्तित बजट पेश किया गया। जिसमें सरकार ने इस वर्ष कुल 1,31,426.89 करोड़ रू. के खर्च का अनुमान किया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिये कुल 14,217.63 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास के बजट में ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (2501), ग्राम रोजगार (2505), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (2515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (2575), अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (4515), अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (4575) मदों में आवंटित राशि को शामिल किया गया है।

पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास हेतू आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास	वृद्वि प्रतिशत
1	2012–13 वास्तविक	81263.91	5468.64	
2	2013–14 संशोधित	100348.93	6077.88	11.14 %
3	2014–15 अंतरिम	112955.06	6556.46	7.87 %
4	2014–15 परिवर्तित	131426.89	14217.63	116.85 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पता लगता है कि वर्ष 2013–14 में ग्रामीण विकास हेतु कुल 6077.88 करोड़ रू. का आवंटन किया गया जो कि पिछले वर्ष के ग्रामीण विकास के कुल बजट से 11.14 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2014–15 के परिवर्तित बजट में ग्रामीण विकास हेतु कुल 14217.63 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जो अंतरिम बजट के आवंटन की तुलना में 116.85 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्वि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये आवंटित राशि का राज्य आयोजना की राशि में सम्मिलित होना है।

राज्य बजट 2014–15 से ग्रामीण विकास हेतु राशि आवंटन

राशि करोड़ में

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्र प्रा.यो.	ग्रामीण विकास का बजट
2014–15 अनुमानित	2065.94	12151.71	(7141.59)	14217.64

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अनुसार इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु आवंटित राशि में से आयोजना मद में बहुत अधिक लगभग 12151.71 करोड़ रू. आवंटन किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु आवंटित राशि के आयोजना मद में केन्द्र प्रायोजित योजना मद की राशि को शामिल रखा गया है। यदि केन्द्र प्रायोजित मद की राशि को अलग करके देखा जाये तो इस वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये कुल 7141.59 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया है जो कि ग्रामीण विकास के कुल बजट की 50.23 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं की प्रगति – ग्रामीण विकास के बजट में आमजन के कल्याण तथा विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिये राशि आवंटन किया जाता रहा है। इस लेख में ऐसी ही कुछ मुख्य योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राशि करोड़ में

	केन्द्रीयांश	राज्यांश	कुल	वृद्धि %
2012-13 संशोधित	4734.97	349.93	5084.90	
2013-14 अनुमानित	4500.00	350.00	4850.00	-4.62 %
2014-15 अनुमानित	4500.00	349.86	4849.86	-0.01 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पिछले कुछ वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) हेतु राशि आवंटन को समझा जा सकता है। वर्ष 2012–13 में महानरेगा हेतू कुल 5084.90 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया। वर्ष 2013–14 में महानरेगा हेतु कुल 4850 करोड़ रू. का आवंटन किया गया जो कि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में लगभग 4.62 प्रतिशत कम था। वर्ष 2014–15 के परिवर्तित बजट में महानरेगा हेतु कुल 4849.86 करोड़ रू. का आवंटन किया गया जो कि पिछले वर्ष के आवंटन के लगभग बराबर ही है। यदि देखा जाये तो पिछले तीन वर्षों में महानरेगा हेतु राज्य मद से लगभग समान राशि आवंटन किया गया है लेकिन केन्द्र से आवंटित राशि को वर्ष 2012–13 की तुलना में पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष में कम किया गया है।

महानरेगा की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	Jun-2014 तक
1	जॉबकार्डधारी परिवार (लाख में)	95.88	99.47	99.22	98.49
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	48.57	42.17	36.46	3.02
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	2042.62	2202.33	1838	35.43
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1424.29	1518.51	1245.52	24.37
5	100 दिन वाले परिवार (लाख में)	2.85	4.21	4.46	0
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	42	52	51	11
7	औसत श्रमिक दर रू. प्रति मानव दिवस	94	100	110	106

स्रोत : महानरेगा की वेबसाईट के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से पता लगता है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है। कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या 45.57 लाख से घटकर 36.46 लाख, कुल सृजित मानव दिवसों की संख्या 2042.62 लाख से घटकर 1838 लाख तथा महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या 1424.29 लाख से कम हो कर 1245.22 लाख तक आ गई है। लेकिन औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार की संख्या 42 से बढकर 51 तथा 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की संख्या 2.85 लाख से बढकर 4.46 लाख हो गई है। यदि औसत श्रमिक मजदूरी प्रति दिवस पर ध्यान दिया जाये तो यह अभी भी तय न्यूनतम मजदूरी 163 रू. प्रति दिवस की तुलना में बहुत कम है।

शेष पृष्ठ 4 पर...

राजस्थान में शिक्षा... पृष्ठ 1 का शेष भाग

प्रदान की जायेगी। अतः परिवर्तित बजट में शिक्षा के आवंटन में बढ़ोतरी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत अंतरिम बजट की तुलना में करीब 3905 करोड़ रु. की अतिरिक्त वृद्वि के कारण हुई है।

तालिका सं. 1 सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)

मद	2008–09 वास्तविक	2009–10 वास्तविक	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	अंतरिम बजट			परिवर्तित बजट	
					2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
गैर आयोजना व्यय	6810.46 (88.34)	8220.14 (88.59)	8538.11 (83.41)	9195.77 (78.83)	10512.44 (80.42)	13165.18 (78.47)	14531.45 (73.00)	13165.18 (78.47)	14532.77 (63.54)
आयोजना व्यय	861.95 (11.18)	969.77 (10.45)	1581.34 (15.45)	2303.92 (19.75)	2373.77 (18.16)	3281.37 (19.56)	5037.17 (25.30)	3281.37 (19.6)	8340.62 (36.46)
केन्द्र प्रवर्तित योजना	36.92 (0.48)	88.82 (0.96)	116.75 (1.14)	164.29 (1.40)	186.48 (1.43)	330.67 (1.97)	337.31 (1.69)	330.67 (1.97)	0
कुल व्यय	7709.33 (100)	9278.73 (100)	10236.21 (100)	11664.00 (100)	13072.7 (100)	16777.23 (100)	19905.94 (100)	16777.23 (100)	22873.39 (100)
वृद्वि	–	20.36	10.32	13.95	12.08	28.34	18.65	–	36.34
कुल व्यय का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत	3.34	3.49	3.03	2.89	2.85	3.27	3.47	–	3.99

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : 1. ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।
2. शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाऐं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है।

तालिका सं. 1 के अनुसार विगत वर्षों में अधिकांश राशि गैर आयोजना मद के अंतर्गत आवंटित एवं व्यय की गयी है जबकि आयोजना मद के अंतर्गत बहुत ही कम राशि व्यय की गयी। हालांकि वर्ष 2010–11 के बाद के वर्षों के बजट में आयोजना मदों के अन्तर्गत व्यय में बढ़ोतरी होती नजर आती है। इसी प्रकार गत वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत कुल व्यय का 1–2 प्रतिशत ही किया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत आवंटन बढ़कर करीब 18.5 प्रतिशत हो गया है जिसकी मुख्य वजह, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान से आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है।

सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय करीब 2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 98 प्रतिशत राजस्व व्यय रहता है जिसका विवरण तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 2 सामान्य शिक्षा– राजस्व व्यय (2204) (राशि करोड़ में)

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	अंतरिम बजट			परिवर्तित बजट	
			2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
प्राथमिक शिक्षा	5921.01 (59.06)	6812.51 (59.80)	7557.266 (59.36)	8951.30 (54.86)	10942.61 (56.38)	8951.30 (54.86)	12684 42* (56.69)
माध्यमिक शिक्षा	3361.78 (33.53)	3748.73 (32.90)	4106.665 (32.26)	6031.018 (36.96)	7107.275 (36.62)	6031.018 (36.96)	8258.81 (36.91)
उच्च शिक्षा	603.15 (6.02)	647.99 (5.68)	898.9328 (7.06)	1093.809 (6.7)	1071.931 (5.52)	1093.809 (6.7)	1065.11 (4.76)
प्रोढ़ शिक्षा	8.09 (0.08)	39.19 (0.34)	8.7227 (0.07)	34.7973 (0.21)	53.1641 (0.27)	34.7973 (0.21)	105.47 (0.47)
भाषा विकास	95.18 (0.95)	103.01 (0.90)	116.6284 (0.92)	140.4907 (0.86)	152.8344 (0.79)	140.4907 (0.86)	176.95 (0.79)
सामान्य	35.73 (0.36)	40.63 (0.35)	43.0274 (0.34)	65.3679 (0.40)	81.6757 (0.42)	65.3679 (0.40)	85.35 (0.38)
कुल सामान्य शिक्षा	10024.97 (100)	11392.09 (100)	12731.24 (100)	16316.77 (100)	19409.49 (100)	16316.77 (100)	22376.11 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : 1. ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

इसमें सर्व शिक्षा अभियान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले बजट राशि को शामिल किया गया है।

शिक्षा पर राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। इस प्रकार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल राशि का करीब 93.5 प्रतिशत आवंटन किया गया है। जिसमें सर्व शिक्षा अभियान हेतु वर्ष 2014–15 में करीब 4341.5 करोड़ रु. (राज्यांश सहित) आवंटित किये हैं।

जबकि उच्च शिक्षा पर मात्र 6 से 7 प्रतिशत राशि ही व्यय की जा रही थी जो 2014–15 के बजट में और कम होकर करीब 4.7 प्रतिशत रह गई है। अतः स्पष्ट होता है कि सरकार राज्य में उच्च शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देने के साथ उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बजट भाषण में हालांकि मुख्यमंत्री महोदया ने उच्च शिक्षा की चर्चा तथा 15 नये महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है।

तालिका सं. 3 शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204)

(राशि करोड़ में)

वर्ष	2007–09 वास्तविक	2008–09 वास्तविक	2009–10 वास्तविक	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	अंतरिम बजट			परिवर्तित बजट	
						2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
राशि	71.29	56.48	66.55	54.53	78.29	120.23	130.28	143.73	130.28	143.93

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

घोषणा पत्र में किये गये वादों का बजट में कोई जिक्र नही : चुनावों से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा से सम्बंधित बहुत सी महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की थीं। लेकिन बजट में इन घोषणाओं पर कोई अमल नही किया गया है। जैसे प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से SMART क्लास रूम की स्थापना करना, जो पूर्ण रूप से कम्प्युटरीकृत होंगे और उनमें शिक्षण कार्यों के लिए आधुनिक सुविधाऐं उपलब्ध होंगी। लेकिन सरकार ने परिवर्तित बजट में इस घोषणा की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी प्रकार प्रदेश में प्रत्येक उपखंड स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिए, जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं, वहां सरकारी कॉलेज की स्थापना करना तथा प्रदेश में चयनित स्थानों पर ''द्रोणाचार्य आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना'' करना आदि ऐसी घोषणाएं हैं, जिन पर सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गयी है।

कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर खर्च

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 60 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में संलग्न है। राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 61 प्रतिशत है। इस भूभाग में वर्षा के अभाव के कारण निरंतर सुखा पड़ता है एवं फलस्वरुप राज्य की कृषि प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। हालांकि राज्य का पूर्वी, उत्तरी–पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग मैदानी है, जहां तुलनात्मक रुप से अच्छी वर्षा होने के साथ कृषि पैदावार भी अच्छी होती है। प्रस्तुत लेख में राज्य में कृषि क्षेत्र के बजट एवं व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं. 1 कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों पर कुल बजट (राशि करोड़ में)

मद	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	अंतरिम	परिवर्तित	2013–14 की तुलना में वृद्धि
			2014–15 प्रस्तावित	2014–15 प्रस्तावित	
राजस्व लेखा	3050.52	3895.33	4839.04	4694.26	20.51
पूंजीगत लेखा	333.98	416.07	610.70	774.89	86.24
कुल	3384.50	4311.39	5449.73	5469.15	26.85

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों हेतु राजस्व मदों में 4694.2 करोड़ रु. एवं पूंजीगत मदों में 774.89 करोड़ रु. की बजट राशि प्रस्तावित की गयी है। अतः कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों हेतु कुल करीब 5469 करोड़ रु. का बजट प्रस्तावित किया गया है। गत वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में करीब 26.8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जिसमें 20.5 प्रतिशत की बढोतरी राजस्व मदों में जबकि 86 प्रतिशत की बढोतरी पूंजीगत मदों में हुई है। बजट में बढ़ोतरी की मुख्य वजह इस वर्ष परिवर्तित बजट में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अंतरिम बजट की तुलना में करीब 461 करोड़ रु. का अतिरिक्त बजट आवंटन है।

तालिका सं. 2 कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के कुल बजट का विवरण

(राशि करोड़ में)

मद	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	अंतरिम	परिवर्तित	2013–14 की तुलना में वृद्धि
			2014–15 प्रस्तावित	2014–15 प्रस्तावित	
फसल एवं कृषि कर्म	1621.07	1747.70	2900.20	2792.36	59.77
मृदा तथा जल संरक्षण	51.65	63.99	72.14	79.03	23.50
पशुपालन	465.59	635.89	836.66	774.27	21.76
डेयरी विकास	1.21	130.87	0.00	28.59	–78.15
मछली पालन	12.69	16.27	14.82	17.57	8.02
वानिकी तथा वन्य जीवन	652.56	983.42	961.76	1158.32	17.78
खाद्य भंडारण तथा भंडागार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	130.22	150.12	140.51	176.34	17.47
सहकारिता	443.13	575.40	514.55	434.56	–24.48
अन्य कृषि कार्यक्रम	6.39	7.74	9.10	8.10	4.61
कुल योग	3384.50	4311.39	5449.73	5469.15	26.85

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में फसल एवं कृषि कर्म हेतु करीब 2792.3 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 59.7 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार मृदा तथा जल संरक्षण तथा पशुपालन में क्रमशः 23.5 एवं 21.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर डेयरी विकास हेतु मात्र करीब 28.6 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 78 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार सहकारिता के बजट में भी गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 24.5 प्रतिशत की कमी की गयी है। अतः कृषि क्षेत्र की बहुत सी गतिविधियों के बजट में वृद्धि की मुख्य वजह केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि के राज्य आयोजना बजट में शामिल होने के साथ बहुत सी नयी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का चालू किया जाना है। जिनका विवरण निम्न तालिका सं. 3 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 3 कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र से संबंधित कुछ केन्द्रीय योजनाओं का बजट

(राशि करोड़ में)

योजना	2012–13 वास्तविक	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	7.75	8.86	70.00
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	435.79	735	550.0
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेंहु)			44.6
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)			137.40
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास			56.18
राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन (तिलहन)			77.43
राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन (वृक्ष जनित तिलहन)			14.00
राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनिकी मिशन (कृषि विस्तार)			62.10
राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन (बारानी क्षेत्र विकास)			50.99
राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन (मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन)			23.91

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर स्पष्ट होता है कि कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के बजट में बढ़ोतरी की मुख्य वजह करीब 466 करोड़ रु. के बजट की नयी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का चालू होना एवं इस प्रकार की योजनाओं के बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है। इसके बावजूद राज्य के कुल बजट में वृद्धि की तुलना में कृषि क्षेत्र के बजट में वृद्धि बहुत ही कम है। गत वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट की तुलना में इस वर्ष 2014–15 के परिवर्तित बजट में राज्य के कुल बजट में करीब 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि कृषि क्षेत्र के बजट में मात्र करीब 26.8 की वृद्धि हुई है। अतः इस लिहाज से कृषि क्षेत्र का बजट बहुत कम बढ़ा है। जबकि राज्य में कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पिछड़ रहा है इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2013–14 कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर रूकी हुई या स्थिर है। इसके अलावा इस वर्ष कम वर्षा की संभावना को देखते हुए राज्य में कृषि क्षेत्र हेतु अधिक बजट आवंटन किया जाना चाहिये था। अतः बजट में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के परिणामस्वरुप राज्य की आधे से अधिक आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से प्रभावित होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र : बजट बढ़ाया, सेवाऐं घटाई

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में स्वास्थ्य के हालात देश एवं बहुत से अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कमजोर हैं। राजस्थान की 2013–14 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 49 है जो राष्ट्रीय औसत (42) से 7 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 255 है जो राष्ट्रीय औसत (178) से 77 अंक अधिक है। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये काफी प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें राज्य में पिछली सरकार द्वारा चालू की गयी निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना प्रमुख हैं। लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। विगत वर्षों में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का मात्र करीब 1 प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय किया जा रहा था। अतः इस लिहाज से राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत ही कम व्यय हो रहा है। हालांकि वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में यह प्रतिशत बढ़कर करीब 1.5 प्रतिशत हो गया है। प्रस्तुत आलेख में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट :

स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल बजट में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सहित परिवार कल्याण का बजट शामिल किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विगत वर्षों में राज्य के कुल व्यय का करीब 3 प्रतिशत व्यय किया जा रहा था। जो गत वर्ष के संशोधित बजट में करीब 3.47 प्रतिशत है एवं हाल ही में वर्ष 2014–15 हेतु पेश किये गये बजट में यह करीब 3.99 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014–15 हेतु अंतरिम बजट में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य हेतु करीब 8703 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गयी है। जबकि गत वर्ष के संशोधित बजट में यह करीब 5298 करोड़ रु. एवं वर्ष 2012–13 के वास्तविक व्यय में यह करीब 3891.7 करोड़ रु. थी। अतः स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है एवं इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की बजट राशि को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया जाना है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल बजट को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 1 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का बजट

(राशि करोड़ में)

मद	2012–13 (वास्तविक)				2013–14 संशोधित				2014–15 प्रस्तावित			
	गैर आयोजना	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	कुल	गैर आयोजना	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	कुल	गैर आयोजना	आयोजना	कुल	केन्द्र प्रवर्तित योजना
1.कुल (चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य)	2357.56	777.65	0.13	2357.56	2762.03	1470.47	5.84	4238.34	3101.62	2622.34	5723.96	(473.32)
2.परिवार कल्याण	18.93	358.10	379.36	756.39	26.01	551.75	481.79	1059.55	28.15	2951.25	2979.39	(2208.03)
कुल स्वास्थ्य क्षेत्र (1+2)	2376.49	1135.75	379.48	3891.73	2788.04	2022.22	487.63	5297.89	3129.77	5573.59	8703.36	(2681.35)
जीएसडीपी की तुलना में कुल व्यय का प्रतिशत				0.85				1.03			1.52	

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की बजट राशि करीब 2681 करोड़ रु. है जो गत वर्ष 2013–14 के संशोधित बजट की तुलना में करीब 2193 करोड़ रु. अधिक है। जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रमुख हैं। अतः इस प्रकार की योजनाओं के बजट (राज्यांश सहित) को राज्य बजट में शामिल करने की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी तुलनात्मक रुप से अधिक देखी जा रही है।

स्वास्थ्य बजट में निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना की बजट स्थिति : राजस्थान में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में पूर्व सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण योजनाएं (निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना) लागू की गयी। इन योजनाओं के बजट आंकड़ों पर गौर करें तो गत वर्ष में दोनों योजनाओं का राज्य बजट में आवंटन बढ़ा है, जिसका विवरण तालिका सं. 2 में दर्शाया गया है। इस वर्ष निःशुल्क दवा योजना का बजट करीब 193 करोड़ रु. एवं निःशुल्क जांच योजना हेतु करीब 161 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। अतः गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में निःशुल्क दवा योजना का बजट बढ़ा है जबकि निःशुल्क जांच योजना का बजट कम हुआ है।

हालांकि बजट पुस्तिका एवं इसी वर्ष पेश किये गये नये विवरण "सारगर्भिक बजट पुस्तिका" के आंकड़ों में विषमताएं हैं। सारगर्भिक बजट पुस्तिका के अनुसार निःशुल्क दवा योजना का बजट करीब 299.5 करोड़ रु. जबकि निःशुल्क जांच योजना हेतु करीब 131.5 करोड़ रु. प्रस्तावित है।

तालिका सं. 2 निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना का बजट एवं व्यय

(राशि–करोड़ रु. में)

योजना	2013–14 संशोधित	2014–15 प्रस्तावित
निःशुल्क दवा योजना	156.61	193.26
निःशुल्क जांच योजना	178.47	161.72

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बजट :– इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बजट करीब 1993 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है। हालांकि इसी वर्ष पेश किये गये नये विवरण सारगर्भित बजट पुस्तिका के अनुसार इस योजना का बजट करीब 4085 करोड़ रु. प्रस्तावित है। इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं के बजट विवरण हेतु प्रकाशित विवरण सारगर्भित बजट पुस्तिका के आंकड़ों एवं बजट पुस्तिका में विषमताऐं हैं। जिससे इन योजनाओं के बजट आंकड़े उलझन पैदा कर रहे हैं। अतः सरकार को विभिन्न योजनाओं के बजट के बारे में स्पष्टता देनी चाहिये।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014–15 हेतु पेश किये गये बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट गत वर्ष के संशोधित बजट की तुलना काफी बढ़ा है लेकिन यह बढ़ोतरी मुख्यतया केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की बजट राशि को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किये जाने के कारण हुई है। हालांकि बजट भाषण में सरकार ने कुछ चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की बात की है लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों, नर्सों एवं अन्य संवर्गों के कई पद रिक्त हैं जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के संबंध में सरकार ने अपने बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। अतः राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने हेतु सरकार को इस क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर ज़ोर देना चाहिये।

राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक : केन्द्रीय कानून की अनदेखी

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए ''राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक'' का मसौदा बनाया गया है। यदि यह विधयेक लागू होता है तो राज्य में पिछले वर्ष पारित ''भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनः स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' लागू नहीं होगा। केन्द्र के कानून के विपरित इस विधयेक में सामाजिक प्रभाव के अध्ययन को पूरी तरह से नकार दिया गया है तथा प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के बदले एक निम्न राशि देने का प्रावधान है। केन्द्रीय कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण से हुए विस्थापितों एवं प्रभावितों का पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अनिवार्य है जिसमें विस्थापित परिवारों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी जैसे : पक्की सड़क, स्वच्छता योजनाएं, सुरक्षित पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल एवं चारागाह, दुकानें, पंचायत घर, डाक घर, आंगनवाड़ी आदि।

इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से पूर्व सहमति से जुड़े प्रावधान को लचीला बनाते हुये निजी–सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत ली जा रही भूमि के लिये सिर्फ 60 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना ही अनिवार्य है जो कि केन्द्रीय कानून में 70 प्रतिशत है। इस विधयेक में 'राजस्थान भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण' बनाये जाने की भी बात की है जो जिला अदालत का कार्य करेगा तथा भूमि अधिग्रहण में किसी भी विवादग्रस्त मामले को सुलझाने का काम करेगा। इस विधेयक के लागु होने पर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा तथा अन्य क्षेत्रों में पंचायतों या शहरी निकायों की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं होगी। जबकि पिछले वर्ष पारित केन्द्रीय कानून में देश के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। इस विधेयक में सबसे खतरनाक प्रावधान है भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले तथा प्रक्रिया में बाधा डालने वाले को तीन से छः महिनों की कैद या दस हज़ार से तीन लाख रु. तक का जुर्माना। इस प्रकार यह कानून लोगों के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नकारता है।

राज्य बजट में... पृष्ट 2 का शेष

आवास योजनाओं हेतु आवंटन राशि करोड़ में

	2012–13 वास्तविक	2013.14 संशोधित	2014–15 परिवर्तित
ग्रामीण बी.पी.एल. आवास	191.96	316.65	553.40
वृद्वि प्रतिशत		**64.96 %**	**73.81 %**
इंदिरा आवास योजना	382.92	483.64	859.55
वृद्वि प्रतिशत		**26.30 %**	**77.73 %**

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से राज्य में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास एवं इंदिरा आवास योजना के लिये राशि आवंटन को समझा जा सकता है। वर्ष 2013–14 में ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के लिये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत आधिक एवं इंदिरा आवास योजना हेतु पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक राशि का आवंटन किया गया। वर्ष 2014–15 के परिवर्तित बजट में ग्रामीण बीपीएल आवास योजना हेतु पिछले वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक राशि लगभग 553.40 करोड़ रू. का आवंटन किया गया तथा इंदिरा आवास हेतु कुल 859.55 करोड़ रू. की राशि का आवंटन किया गया जो कि पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में लगभग 78 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तुत आलेख में इंदिरा आवास योजना हेतु आवंटन का विवरण, राज्य मद से एवं केन्द्रीय मद से आवंटित राशि को सम्मिलित करके तैयार किया गया है।

आवास योजनाओं की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	स्वीकृति की संख्या	2011–12	2012–13	2013–14
1	इंदिरा आवास योजना	115562	84567	86290
2	ग्रामीण बीपीएल आवास योजना	275623	200503	193488
	कुल	391185	285070	279778

स्रोत – आई.ए.वाई. की वेबसाईट की जानकारी के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से राज्य में संचालित इंदिरा आवास एवं ग्रामीण बीपीएल आवास योजनाओं की भौतिक प्रगति को समझा जा सकता है। वर्ष 2011–12 के दौरान इंदिरा आवास एवं ग्रामीण बीपीएल आवास योजनाओं द्वारा सम्मिलित रूप से 391185 आवास स्वीकृत किये गये तथा अगले वर्ष 2012–13 में उपरोक्त दोनों योजनाओं के माध्यम से कुल 285070 आवासों की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2013–14 में दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल 279778 आवासों की स्वीकृति जारी की गई। यदि देखा जाये तो पिछली सरकार ने अपने वादे के अनुसार पिछले तीन वर्षों में लगभग 10 लाख आवासों की स्वीकृति जारी कर अपना वादा पूरा किया है जो कि वास्तव में बेहद तारीफ की बात है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस वर्ष सरकार ने ग्रामीण विकास एवं मुख्य योजनाओं के मद में राशि आवंटन को बढ़ाया है लेकिन आधिकांश बढ़ोतरी केवल केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि राज्य की आयोजना राशि में सम्मिलित होने से दिखाई दे रही है। यदि मुख्य योजनाओं के आवंटन में से केन्द्र प्रायोजित योजना मद की राशि को अलग कर दिया जाये तो पता चलता है कि परिवर्तित बजट तथा अंतरिम बजट के आवंटन में कोई खास अंतर नहीं है।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
सहयोग – अंकुश वर्मा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट : फिर गिरावट

वर्ष 2014–15 के लिये पारित परिवर्तित बजट नयी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले फरवरी माह में अंतरिम बजट पेश किया गया था जिसमें सरकार ने चार माह के लिये लेखानुदान की माँग की थी। जुलाई माह में पारित परिवर्तित बजट में राज्य का कुल खर्च 131426.8 करोड़ रू रखा गया जिसमें अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कुल 115.5 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो राज्य के कुल बजट का केवल 0.08 प्रतिशत ही है। यह राशि एक तरह से नगण्य है एवं वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान (0.15 प्रतिशत) से कम है तथा राज्य सरकार द्वारा पारित अंतरिम बजट के आय –व्ययक अनुमान (0.18 प्रतिशत) से भी कम है। यह चिंताजनक है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है। सारणी 1 के अनुसार वर्ष 2013–14 के संशोधित अनुमान में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में कमी आयी है। इससे यह पता चलता है कि 2013–14 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित बजट को ठीक से खर्च नहीं किया गया।

सारणी 1: 2014–15 के राज्य बजट में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का आवंटन
(राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल बजट	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	प्रतिशत
2011–12 अनुमानित	63998.82	–	–
2012–13 अनुमानित	76675.25	–	–
2013–14 अनुमानित	94871.95	150.95	0.15
2013–14 संशोधित अनुमान	100348.92	107.8	0.10
2014-15 (अंतरिम आय–व्ययक अनुमान)	112955.06	204.8	0.18
2014-15 (परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान)	131426.8945	115.5	0.08

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225 तथा 6225 के अंतर्गत आवंटित की जाती है। फरवरी माह में पेश किये गये अंतरिम बजट में इन मदों में जारी कुल राशि 204.8 करोड़ थी जिसे परिवर्तित बजट में 89.3 करोड़ रु. घटा कर सिर्फ 115.5 करोड़ रूपये कर दिया गया है। आंवटित राशि में यह गिरावट मुख्यतः पूंजीगत व्यय को कम करने से आयी है। अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय की राशि 52 करोड़ रूपये थी जिसे घटाकर सिर्फ 2.5 करोड़ रूपये कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के एक अधिकारी से बात करने पर हमें ज्ञात हुआ कि अतिरिक्त राशि अल्पसंख्यक छात्र– छात्राओं के हॉस्टल निर्माण के लिये रखी गयी थी परन्तु यह निर्माण कार्य फिलहाल रोका हुआ है। मदरसा शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी अंतरिम बजट की तुलना में 15.95 करोड़ रूपये से कम किया गया है परन्तु अधिकारी की मानें तो यह आवंटन बन्द नहीं हुआ है बल्कि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया है और इसका वितरण भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जायेगा।

सारणी 2: अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि का विश्लेषण
(राशि करोड़ में)

वर्ष/लेखा शीर्ष		2202 सामान्य शिक्षा – मदरसा स्कूल/ बोर्ड	2225 अनुसुचित जातियों , जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं – वक्फ ट्रिब्यूनल	4225 अनुसुचित जातियों , जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय	6225 अनुसुचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
2013–14 प्रस्तावित	आयोजना भिन्न	0	7.03	0.60	0	0	7.69
	आयोजना	63.42	47.02	0.00	2.75	3	115.69
	के.प्रा.यो.	7.01	20.62	0.00	0	0	27.63
	कुल	**70.43**	**74.67**	**0.60**	**2.75**	**3**	**151.01**
2013–14 संशोधित	आयोजना भिन्न	0	8.25	0.40	0	0	8.65
	आयोजना	34.46	30.95	0.00	2.15	2	70.06
	के.प्रा.यो.	4.30	24.81	0.00	0	0	29.11
	कुल	**38.76**	**64.01**	**0.40**	**2.15**	**2**	**107.80**
2014–15 अन्तरिम	आयोजना भिन्न	0	10.41	0.40	0	0	10.81
	आयोजना	76.5	30.07	0.00	52	2.5	161.07
	के.प्रा.यो.	3.15	29.77	0.00	0	0	32.92
	कुल	79.65	**70.25**	**0.40**	**52**	**2.5**	**204.80**
2014–15 परिवर्तित	आयोजना भिन्न	0	10.51	0.4		0	10.91
	आयोजना	63.77	35.84	0.00	2.5	2.5	104.61
	कुल	**63.77**	**46.36**	**0.40**	**2.5**	**2.5**	**115.53**
	(के.प्रा.यो.)	(3.15)	(2.97)	(0)	(0)	(0)	(32.92)

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

राज्य बजट के मद 2202 के अंर्तगत भी कुछ राशि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित की जाती है जो कि मदरसा बोर्ड एवं मदरसा स्कूल के संचालन के लिये रखी गयी है। यह कुल राशि 63.7 करोड़ है जो कि वर्ष 2013–14 के बजट अनुमान में 70.43 करोड़ रू. रखी गयी थी परन्तु संशोधित अनुमान में यह राशि घट कर कुल 38.76 करोड़ हो गयी है। इसके अलावा मद 2250 में भी वक्फ ट्रिब्यूनल से विभाग के लिये आवंटन का प्रावधान रखा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में कुल 0.4 करोड़ रू का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में काफी कमी देखी गयी है एवं यह 2014–15 के अंतरिम बजट में आवंटित राशि से भी काफी कम है। अगर वर्ष 2013–14 के संशोधित अनुमान से तुलना करें तो विभाग को इस वर्ष आवंटित राशि में लगभग 7.7 करोड़ रु. की बढ़ोतरी हुयी है जो कि बेहद कम है। अतः हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि में बढ़ोतरी की जाये ताकि सभी योजनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाया जा सके।

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान / श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....